

विज्ञापन

क्रमांक / कृ.यां. / II-12 / 2010-11 /

रायपुर, दिनांक : / / 10

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन

प्रदेश में कृषि यांत्रिकीकरण के विस्तार हेतु वर्ष 2010-11 में 20 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। ट्रैक्टर तथा कृषि कार्य माला में भूमि की तैयारी से फसल की गहाई तक के विभिन्न उपयोगी कृषि यंत्र कृषकों को किराये पर उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक केन्द्र के लिए विशेष केन्द्रीय सहायतित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत रू. 10.00 लाख की राशि क्रेडिट लिंकड बैक इन्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy) के रूप में दी जावेगी।

इस प्रकार के कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के इच्छुक उद्यमियों (कृषि इन्जी./कृषि में स्नातक)/स्व सहायता समूहों (कम से कम पांच सदस्यीय)/अशासकीय संस्थाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। योजना के नियम व शर्तों तथा निर्धारित आवेदन पत्र संचालनालय कृषि (अभियांत्रिकी) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर, कृषक नगर, रायपुर-492006 से कार्यालयीन समय में निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा विभाग की वेबसाईट www.agridept.cg.gov.in से डाऊनलोड किये जा सकते हैं।

पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र मय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अपर संचालक कृषि अभियांत्रिकी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर-492006 में प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 15.09.2010 है।

संचालक कृषि
कृषि (अभियांत्रिकी) संचालनालय
छत्तीसगढ़ रायपुर

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की
स्थापना हेतु नियम व शर्तें :

1. राज्य अथवा केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से रोजगार प्राप्ति के संबंध में अनुदान या ऋण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इसके पात्र नहीं होंगे।
2. आवेदन पत्र के भाग-3 अनुसार प्रत्येक कृषि कार्यमाला हेतु उपयुक्त संख्या में मशीनों क्रय करना अनिवार्य होगा जिसकी कुल लागत 25.00 लाख से कम न हो।
3. प्रत्येक केन्द्र के लिये भाग-3 में उल्लेखित कृषि यंत्र क्रय हेतु विशेष केन्द्रीय सहायतित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत राशि रू. 10.00 लाख क्रेडिट लिंक्ड बैंक इन्डेड सबसिडी के रूप में देय होगी।
4. कृषि यंत्र सेवा केन्द्र स्थापना हेतु आवेदक को यंत्र/मशीनों के रख-रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकतानुसार भूमि आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
5. सेवा केन्द्र के द्वारा कृषकों का कार्य प्राथमिकता क्रम में किये जाने होंगे, कृषि कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही अकृषि कार्य किया जा सकेगा।
6. कृषि यंत्र सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने की योजना के तहत प्राप्त कृषि यंत्र/मशीनरी आदि को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को कम से कम 5 वर्ष तक विक्रय/रहेन (मार्टगेज) नहीं किया जावेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करना होगा।
7. सेवा केन्द्र को कार्यो का सही विवरण (लेखाजोखा) देने वाला पर्याप्त रिकार्ड संधारित करना होगा एवं समय-समय पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
8. अभ्यर्थियों का चयन गुण-दोष के आधार पर संचालनालय में गठित समिति द्वारा किया जावेगा। किसी विवाद की स्थिति में संचालक कृषि छ.ग. रायपुर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।


संचालक कृषि
कृषि (अभियांत्रिकी) संचालनालय
छत्तीसगढ़ रायपुर

केन्द्र पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु

आवेदन पत्र

प्रति,

अपर संचालक कृषि अभियांत्रिकी,
कृषि (अभियांत्रिकी) संचालनालय,
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर,
लभाण्डी, रायपुर (छ.ग.)।
फोन नं. 0771-2442031
फैक्स नं. 0771-2442018



भाग-I

- 1.1 आवेदक का नाम :
- 1.2 पिता/पति का नाम :
- 1.3 आवेदक एकल अथवा सामूहिक रूप से : एकल समूह में
(कम से कम 5 सदस्य) केन्द्र खोलना चाहता है
- 1.4 आवेदक/समूह के कार्यकारी सदस्यों का विवरण :

क्र.	आवेदक/ समूह के कार्यकारी सदस्यों का नाम	शैक्षणिक योग्यता	जन्म तिथि	जाति	गृह जिला	क्या छ.ग. का स्थायी /मूल निवासी है ?

- 1.5 स्थान का विवरण जहां केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है
- (i) ग्राम :
- (ii) विकासखण्ड :
- (iii) जिला :
- 1.6 केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु द्वितीय एवं तृतीय प्राथमिकतायें, यदि है तो जिला : (i)
(ii)
- 1.7(ब) आवेदक का स्थायी पता :
- फोन/मोबाईल नं. :
- 1.8 आवेदक की वार्षिक आय एवं वर्तमान व्यवसाय :
- 1.9 पत्राचार हेतु पता :
- 1.10 स्व-सहायता समूह का नाम व पंजीयन क्रमांक :

भाग-II

- 2.1 केन्द्र की स्थापना हेतु कुल अनुमानित व्यय (DPR संलग्न करें) :
- 2.2 वित्तीय व्यवस्था :
1. स्वयं के श्रोत से :
2. बैंक ऋण द्वारा :
- 2.3.1 आय का स्रोत : कृषि व्यवसाय नौकरी अन्य
- 2.3.2 आय के अन्य स्रोत का विवरण :
- 2.4 वार्षिक आय :
- 2.5 PAN No. :
- 2.6 भूमि एवं उसके स्वामित्व का विवरण :-
भू स्वामी का नाम..... क्षेत्रफल..... ग्राम.....
विकासखण्ड..... प.ह.न.
- 2.7 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों (कस्टम हायरिंग) के संबंध में :
- कोई अनुभव हो तो उसका विवरण :
- 2.8 व्यवसायिक बैंक का नाम जिससे ऋण लेने के इच्छुक है :

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा अथवा स्व-सहायता समूह अथवा अशासकीय संस्था सदस्यों द्वारा, कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु किसी भी अन्य योजना से अनुदान का लाभ नहीं लिया गया है। मैं अनुदान प्राप्ति हेतु विभागीय औपचारिकताओं के पूर्ण करने हेतु वचन बद्ध हूँ। आवेदन पत्र के भाग-2 में निहित नियम व शर्तें पूर्णरूपेण मुझे मान्य है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे ज्ञान से उपरोक्त समस्त जानकारी सत्यनिष्ठा से दी गयी है।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :- उपरोक्त से संबंधित सभी आवश्यक अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जावें।

**Package of machinery proposed for farm machinery Service Centre
Under RKVY**

S.No.	M/C & equipments	Minimum no. of m/c & equipments for each centre	Total Approx Cost for 1 Centre (Rs. in lakh)	Backended subsidy to be given for each centre under RKVY Rs. in lakh
1	2	3	4	5
1	Power Source : Tractor	3	15.00	10.00 lakh
2	Tractor driven tillage implements			
	Rotavator/ M.B. Plough/ Cage Wheel/ Disc Harrow/ Cultivator, etc.	Suitable equipments to be selected as per power source	3.25	
3	Sowing & Planting equipments			
	Seed-cum-fert.drill/ Paddy Transplanter/Other planters	3	2.75	
4	Harvesting & threshing Equipments			
	Self propelled reaper & Thresher (Paddy/Multicrop) or Combine Harvester	As per requirement	6.00	
Total			27.00	

*** Cost shown in col. 4 can vary as per actual cost of machinery.**

